

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(2)न्याय/2016


जयपुर, दिनांक 20 APR 2016

अधिसूचना ::

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(8) न्याय/80 दिनांक 26.12.1985, क्रमांक प.9(6) न्याय/98 दिनांक 31.03.1998 एवं क्रमांक प.2 (4) न्याय/2014 दिनांक 29.06.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अधिनियम द्वारा पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु उपरोक्त अधिसूचनाओं द्वारा सृजित एवं स्थपित पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 व 2, जयपुर का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती है:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
1.	पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, जयपुर	राजस्व क्षेत्र जयपुर तहसील
2.	पारिवारिक न्यायालय संख्या 2, जयपुर	जयपुर महानगर क्षेत्र (जयपुर तहसील को छोड़कर) यानि कि राजस्व क्षेत्र चोमू सांगानर, बस्सी, आमेर तहसीले

राज्यपाल के आदेश से,


(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/II/2016/ 564 dated 21.4.2016

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1.All Registrars Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur and Registrar Class./CPC for upload the same on high court website.
- 2.District Judge, Jaipur Metro./ District.
- 3.Family Court No.1 & 2, Jaipur.
- 4.All administrative sections of Rajasthan High Court, Jodhpur.


REGISTRAR (ADMN.)